

बच नहीं पाएंगे सरकारी बैंकों के बड़े बकायेदार

दर्जनभर एनपीए खाताधारकों से **वसूली** का फार्मूला तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी बैंकों की फंसे कर्जे (एनपीए) की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने जो अस्त्र तैयार किया है, उसका परीक्षण होना अब शुरू हो जाएगा। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच अगले हफ्ते होने वाली बैठक में तकरीबन एक दर्जन ऐसे एनपीए खाताधारकों से कर्ज वसूली का फार्मूला तैयार किया गया है, जो अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद कर्ज नहीं लौटा रहे थे। केंद्रीय बैंक की यह योजना सफल हो गई, तो सरकारी बैंकों के सर से तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये के एनपीए का बोझ कम हो सकता है।

केंद्र सरकार ने मई के पहले हफ्ते में एनपीए की समस्या दूर करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत बड़े एनपीए खाताधारकों से कर्ज वसूली के लिए नया फार्मूला आजमाने की व्यवस्था है। इसके तहत 50 बड़े खाताधारकों से कर्ज वसूली का फार्मूला बैंकों को तैयार करने के लिए कहा गया है। इस सूची में शामिल हर एनपीए खाता से कर्ज वसूली के लिए फार्मूला तैयार करने की जिम्मेदारी बैंकों को दी गई है। बैंक



अगले हफ्ते आरबीआइ और वित्त मंत्रालय के बीच अहम बैठक



बैंकों से एक लाख करोड़ के एनपीए का बोझ हो सकता है कम

कुल एनपीए 6.7 लाख करोड़ रुपये

- वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक स्टील, रत्न व आभूषण और बिजली क्षेत्र की तीन बड़ी कंपनियों से भी बकाया कर्ज वसूलने की तैयारी है।
- सरकार के ताजे आंकड़े बताते हैं कि सितंबर, 2016 को समाप्त तिमाही तक सरकारी बैंकों का कुल एनपीए 6.7 लाख करोड़ रुपये का हो गया था।
- मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मेरिल लिंच समेत कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इस स्तर को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया है।

यह फार्मूला बनाकर आरबीआइ को देंगे। आरबीआइ इस फार्मूले पर अंतिम फैसला करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगी। समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच पुराने फंसे बड़े कर्जों का भार कम करने की कोशिश भी शुरू

हो गई है। इसके तहत ही पिछले दिनों रिलायंस कन्सल्टिंग पर बकाये कर्ज के भुगतान का रोडमैप लागू किया गया।



एक जरूरी कदम

» संपादकीय